भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 764
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

जिला न्यायालय

764. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) देश भर के जिला न्यायालयों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रतिनिधित्व और संसाधनों के मुद्दों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए / उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने जिला न्यायालयों की न्यायाधिशों और सहायक कर्मचारियों में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व का आकलन किया है, और यहां होने वाले भर्ती में विविधता पूर्ण भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिला न्यायालयों में न्यायिक और गैर-न्यायिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार इन अंतरों को दूर करने के लिए भर्ती योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) जिला न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की कमी, जिसमें न्यायालय के लिए सीमित स्थान का होना, आईटी सुविधाएं और अग्नि सुरक्षा उपकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं, के संबंध में राज्य-बार व्यौरा क्या है साथ ही इन कमियों को दूर करने के लिए किए गए योजनाबद्ध उपाय क्या हैं ; और

(च) सहायक कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे कि सामान्य कमरे, संलग्न शौचालय और कंप्यूटर सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार की क्या योजना है, ताकि एक अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : केन्द्रीय सरकार ने, अपनी स्कीमों/पहलों के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना और संसाधनों के साथ-साथ भौतिक अवसंरचना के विकास में सहायता करके न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।

सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय भवनों के संनिर्माण और न्यायिक अधिकारों के निवास स्थानों के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1993-94 से ही न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) को कार्यान्वित करती रही है। स्कीम के अंतर्गत आने वाले तीन अन्य घटक अर्थात् वकीलों के हॉल, प्रसाधन परिसर और वकीलों एवं मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए डिजिटल कम्प्यूटर कक्ष हैं। जबकि जिला न्यायालयों में अवसंरचना का विकास, राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है, केन्द्रीय सरकार उक्त स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार के संसाधनों को अनुपूरित करती है । अब तक, वर्ष 1993-94 में स्कीम के आरंभ होने के समय से ही, 11583.07 करोड़ रुपए का केन्द्रीय शेयर जारी किया गया है । 25725 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या के मुकाबले में, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 22515 न्यायालय हॉल और 21096 आवासीय यूनिट उपलब्ध हैं और 3154 न्यायालय हॉल तथा 2619 आवासीय यूनिटें आज की तारीख तक संनिर्माणाधीन हैं।

ई-न्यायालय परियोजना के अधीन, न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसटी) सक्षमता, न्यायिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आरंभ की जा रही है जिसका परिणाम न्याय परिदान प्रणाली को सुगम, कम खर्चीली, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने, वर्ष 2015 से बजट आवंटन को विशिष्ट रूप से बढ़ाकर उन्नत डिजिटल अवसंरचना वाली न्यायपालिका को आधुनिक बनाने में अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। दूसरे चरण के लिए, 1670 करोड़ रुपए की रकम, जो चरण-1 के दौरान संवितरित 639 रुपए करोड़ रुपए की विशेष बढ़ोतरी है, आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितम्बर, 2023 में 7210 करोड़ रुपए का परिव्यय चरण-2 के लिए अनुमोदित कर दिया गया है, जो चरण-2 के लिए वित्तपोषण से चार गुणा अधिक है।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-1 (2011-2015) के दौरान, 14249 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया था और 13683 न्यायालयों में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) संस्थापित किया गया था। चरण-2 (2015-2023) का फोकस नागरिकों के लिए न्यायिक सेवाओं की आसीटी सुविधा पर था और 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया था। संघटकों में कम्प्यूटर हार्डवेयर, डीएसएलए का कम्प्यूटरीकरण, वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), संयोजकता, पणधारियों का प्रशिक्षण, ई-सेवा केंद्र की स्थापना, आदि भी सम्मिलित किए गए थे । उन्नत ग्राहक सूचना प्रणाली (सीआईएस), सॉफ्टवेयर पोर्टल जो लोगों को मामलों की लंबित संख्या (राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड) तथा डिजिटल फाइलिंग एवं संदायों के लिए पद्धतियों के बारे में सूचना तक पहुंच रखने में समर्थ बनाते हैं, के विकास ने उस ढंग में क्रांति ला दी है जिसमें जनता न्यायपालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं तक पहुंच रखती है।

परियोजना का चालू चरण-3 (2023-2027) डिजिटल और कागज रहित न्यायालयों की स्थापना, न्यायालय अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार, कारागारों और अस्पतालों, यातायात उल्लंघन के न्यायनिर्णयन से परे ऑनलाइन न्यायालयों के कार्यक्षेत्र का विस्तार, ई-सेवा केन्द्रों सहित सभी न्यायालयों परिसरों की परिपूर्णता, डिजिटीकृत न्यायालय अभिलेखों की सहज पुनःप्राप्ति और उसे अवलंब देने के लिए क्लाउड आधारित डाटा संग्रह, न्यायालय कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण और लंबित मामलों की संख्या के विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उद्भूत होने वाली प्रौद्योगिकियों का और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकगनीशन (ओसीआर) आदि जैसे इसके सबसेटों के प्रयोग, भावी मुकदमेबाजी का अनुमान लगाना, आदि जैसी विभिन्न नई डिजिटल पहलों की परिकल्पना करता है।

(ख) से (घ) : न्यायिक अधिकारियों का चयन और नियुक्ति तथा सहायक कर्मचारिवृन्द से संबंधित रिक्तियों को भरना, संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। सांविधानिक कार्य ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, संबद्ध उच्च न्यायालय से परामर्श करके, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती है।

उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मजहार सुल्तान के मामले में, जनवरी, 2007 में पारित अपने आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं को नियत किया है, जिनका अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना है।

(ड.) और (च) : जिला न्यायालयों में अवसंरचना के अन्तर के ब्यौरे, जिनमें सीमित न्यायालय कक्ष स्थान, आईटी सुविधाएं और अग्नि सुरक्षा उपस्कर, जैसे मुद्दे भी हैं, की बाबत विनिर्दिष्ट जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं।

न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, भारत

सरकार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को अनुपूरित करती है । वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता स्कीम के अधीन उपलब्ध बजटीय उपबंध तक निर्बंधित है। तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने ही संसाधनों से अतिरिक्त रकम खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****